कार्यालय आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड़–भिवाडी

खुली बिक्री योजना
''पहले आओ–पहले पाओ''

योजना की प्रारम्भ तिथि **04.06.2019**

आवासीय योजना अरावली विहार, भिवाडी में पूर्व पंजीकृत एंव नए आवेदकों के लिए नकद भुगतान पद्धति में खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत बहुमंजिले आवास प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

योजना की अन्तिम तिथि **28.06.2019**

फ्लेट आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रत्येक कार्य दिवस को अपरान्ह 03.00 बजे तक प्राप्त किए जाकर उसी दिन सांय 04.00 बजे उपस्थित आवेदकों के समक्ष वरीयता के आधार पर/ लॉटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा।

1. खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध बहुमंजिले आवासों का विवरण निम्न प्रकार है:–
2.

क्र स	आय वर्ग	फ्लेट्स की संख्या	लागत	चार्जेबल क्षेत्रफल (व. मी.)	फ्लेट संख्या
EWS (G+3) Aravali Vihar, Bhiwadi					
1	EWS (G.F) (P.A. 30.972 Sqm)	13	947000.00	42.625	10/993, 10/1073, 10/1074, 10/1075, 10/1076, 10/1089, 10/1090, 10/1091, 10/1092, 10/1105, 10/1106, 10/1107, 10/1108
2	EWS (F.F) (P.A. 30.972 Sqm)	13	895300.00	36.431	10/1013, 10/1077, 10/1078, 10/1079, 10/1080, 10/1093, 10/1094, 10/1095, 10/1096, 10/1109, 10/1110, 10/1111, 10/1112
3	EWS (S.F) (P.A. 30.972 Sqm)	15	882400.00	34.882	10/828, 10/923, 10/987, 10/1081, 10/1082, 10/1083, 10/1084, 10/1097, 10/1098, 10/1099, 10/1100, 10/1113, 10/1114, 10/1115, 10/1116
4	EWS (T.F) (P.A. 30.972 Sqm)	15	856500.00	31.785	10/911, 10/942, 10/974, 10/1085, 10/1086, 10/1087, 10/1088, 10/1101, 10/1102, 10/1103, 10/1104, 10/1117, 10/1118, 10/1119, 10/1120

LIG (G+3) Aravali Vihar, Bhiwadi					
5	LIG (G.F) (P.A. 46.654 Sqm)	14	1510100.00	61.432	9/194, 9/209, 9/497, 9/498, 9/499, 9/500, 9/513, 9/514, 9/515, 9/516, 9/529, 9/530, 9/531, 9/532
6	LIG (F.F) (P.A. 46.654 Sqm)	14	1420800.00	52.102	9/198, 9/423, 9/501, 9/502, 9/503, 9/504, 9/517, 9/518, 9/519, 9/520, 9/533, 9/534, 9/535, 9/536
7	LIG (S.F) (P.A. 46.654 Sqm)	14	1398500.00	49.769	9/395, 9/459, 9/505, 9/506, 9/507, 9/508, 9/521, 9/522, 9/523, 9/524, 9/537, 9/538, 9/539, 9/540
8	LIG (T.F) (P.A. 46.654 Sqm)	28	1353800.00	45.103	9/205, 9/207, 9/238, 9/239, 9/365, 9/382, 9/398, 9/413, 9/429, 9/430, 9/447, 9/448, 9/478, 9/479, 9/480, 9/493, 9/509, 9/510, 9/511, 9/512, 9/525, 9/526, 9/527, 9/528, 9/541, 9/542, 9/543, 9/544

3. आवेदन पत्र के साथ जमा करायी जाने वाली राशि का विवरणः–

क्र. सं.	आवास/ फ्लेट की श्रेणी	आवेदन पत्र के साथ देय राशि (रूपयें में)		
		पंजीकरण राशि	पूर्व ग्रहण राशि	कुल राशि
1	EWS	7000.00	5000.00	12000.00
2	LIG	15000.00	10000.00	25000.00
3	MIG-A	50000.00	40000.00	90000.00

नोट :–

1. आवास/फ्लेट का आवंटन ''जहां है जैसा है'' की अवस्था में किया जावेगा।
2. इस योजना की अन्य शर्तें मण्डल की वेबसाईट (http://urban.rajasthan.gov.in/rhb) व कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

–:सम्पर्क सूत्रः–

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल
आशियाना ग्रीन के सामने, भिवाडी
दूरभाष नम्बर :– 01493–230484

<u>नियम एवं आवश्यक शर्ते</u>

01. इस योजना के आवेदन फार्म राजस्थान आवासन मण्डल, भिवाड़ी के कार्यालय से राशि **<u>रू. 300.00</u>** + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. **कुल रू. 354/–** नकद भुगतान कर कार्यालय समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। इस योजना में कोई भी आवेदक अपने आय वर्गानुसार फ्लेट आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन फार्म पर आवेदक को पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटेरी पब्लिक से आवेदन फार्म व फोटो सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा एवं प्रस्तावित फ्लैटो का आवंटन '' जहॉ है जैसे है '' की स्थिति में किया जायेगा। आवास में कमी अन्य टूट फूट के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा।

02. सामान्य पंजीकरण योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदक की जमा पंजीकरण एवं अन्य राशि का समायोजन आवंटन पत्र जारी करते समय किया जावेगा।

03. इस योजना में फ्लैट हेतु प्रत्येक कार्य दिवस को सायं 3.00 बजें तक आवेदन स्वीकार किये जावेगे तथा आवंटन हेतु गठित समिति के समक्ष 4.00 बजें से फ्लैटों का आवंटन किया जावेगा। प्राप्त होने वाले आवेदनों में एक फ्लैट के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर फ्लैट का आवंटन उपस्थित आवेदकों के सामने लॉटरी द्वारा किया जावेगा। शेष बचे हुए आवासों की सूची अगले कार्य दिवस पर नोटिस बोर्ड पर लगाई जाऐगी।

04. आवेदन को आवेदन पत्र के साथ पहचान एवं पते के प्रमाण स्वरूप फोटोयुक्त पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड इत्यादि में से किसी एक सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

05. फ्लैटो का आवंटन केवल नकद भुगतान पद्वति पर ही किया जावेगा।

06. इस योजना में सामान्य पंजीकरण योजना के केवल पंजीकृत आवेदको को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में पंजीकरण की राशि का अभी तक रिफण्ड प्राप्त नहीं किया है, कोई आवास/ फ्लैट आवंटित नहीं है तथा किसी अन्य योजना में स्थानान्तरित नहीं करवाया गया है एवं पंजीकरण से सम्बन्धित प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने पर फ्लैट का आवंटन सामान्य श्रेणी का ही नया आवेदक मानकर किया जा सकेगा।

07. फ्लैट का आवंटन पत्र नगद भुगतान पद्वति के अन्तर्गत जारी किया जायेगा, जिसमें पूर्व पंजीकृत आवेदक द्वारा जमा कराई गई राशि एवं मण्डल नियमानुसार देय ब्याज (यदि कोई हो तो) का समायोजन किया जाकर फ्लैट की शेष लागत के अतिरिक्तः– एक वर्ष की अग्रिम लीज राशि भूमि की लागत का 2.5 प्रतिशत, ए.एस.सी. चार्जेज कुल लागत का मध्यम आय वर्ग (अ), (ब) के लिए 2 प्रतिशत एवं उच्च आय वर्ग के लिए 3 प्रतिशत देय होगा।

08. फ्लैट की पूर्ण लागत का जी.एस.टी., लीगल चार्जेज, नक्शे की राशि व अन्य देय राशि भी पृथक से नियमानुसार देय होगी।

09. केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा भविष्य में कर प्रावधानों में किये जाने वाले सभी परिवर्तन लागू होगे।

10. आवेन पत्र में दर्शायी गई मॉग राशि, आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

11. निर्धारित अवधि में मण्डल द्वारा फ्लैट की चाही गई राशि आवेदक द्वारा जमा नहीं कराने पर मण्डल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाऐगी।

12. **आवंटन निरस्तिकरण पर जमा पंजीकरण राशि जप्त कर ली जावेगी।**

13. इस योजना के अन्तर्गत आवेदकों को आवास न मिलने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा कराया गया मूल ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जावेगा। आवेदक स्वंय खण्ड कार्यालय, भिवाड़ी से अपना मूल ड्राफ्ट व्यक्तिशः प्राप्त कर सकते हैं।

14. आवेदक इच्छानुसार आवास क्रय करने हेतु आवेदन पत्र में वरीयतानुसार तीन आवासों के नम्बर विकल्प स्वरूप अंकित कर सकता है।

15. इच्छित आवास न मिलने की स्थिति में जमा कराई गई राशि का ड्राफ्ट अगले दिन किसी अन्य विकल्प हेतु वैध रहेगा तथा पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा या ड्राफ्ट वापस प्राप्त कर सकेगा।

16. एक ही आवास के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में निम्न वर्णित वरीयता के आधार पर आवंटन किया जावेगा :–
    1. भिवाड़ी शहर के नकद भुगतान पद्धति के पूर्व पंजीकृत आवेदक।
    2. भिवाड़ी शहर के किराया क्रय पद्धति के पूर्व पंजीकृत आवेदक।
    3. नए नगद भुगतान पद्धति के आवेदक।

17. यदि इस योजना में कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक आवास प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसकी पत्रावली मूल वरीयतानुसार भविष्य में आवंटन हेतु रख दी जावेगी।

18. पूर्व पंजीकृत आवेदक को आवंटित आवास अस्थाई रूप से प्रस्तावित माना जावेगा। मूल पंजीकरण पत्रावली के साथ आवेदन पत्र की जांच के पश्चात ही आवंटन पत्र जारी किया जावेगा।

19. पूर्व पंजीकृत आवेदक जिनका पूर्व में आवंटन होने के पश्चात पंजीकरण एंव निरस्त किया जा चुका है एंव उन्होने पंजीकरण राशि मण्डल से लेने हेतु प्रार्थना पत्र एंव अग्रिम रसीद एंव मूल चालान जमा नहीं कराए हैं वे पूर्व पंजीकृत आवेदक नहीं माने जायेगें।

20. आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की नियमानुसार कमी पाये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जावेगा।

21. इस योजना के अन्तर्गत आवासों की उपलब्धता के आधार पर आवासों की संख्या घटत–बढत की जा सकती है।

विशेष :–

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग एंव मध्यम आय वर्ग 'अ' अरावली विहार योजना के सफल आवेदक को सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा तथा उसके लिए सोसायटी राशि क्रमशः रू. 8000.00, 12000.00 व 18000.00 कब्जा प्राप्त करने से पूर्व जमा करवाने होगे।

–::–